



**झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत आच्छादन हेतु  
स्वघोषणा-पत्र-सह-परिवारिक विवरणी**

मैं ..... में .....

पिता/पति- .....

पता : .....

श्रेणी-सामान्य/पिछड़ा वर्ग/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ PVTG,  
आयु : ..... पूर्ण सत्यनिष्ठा के साथ घोषणा करता/करती हूँ कि निम्नवर्णित समावेशन  
मानक (Inclusion Criteria) के आधार पर मैं एक सुपात्र आवेदक हूँ (प्रासारिक कोष्ठक में ✓ लगाएँ) -

- (1) मैं या मेरे परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित/सेवानिवृत नहीं हूँ अथवा
- (2) मैं विधवा/परित्यक्ता/Transgender हूँ तथा भारत सरकार/राज्य सरकार/ केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/न्यास, इत्यादि में नियोजित/सेवानिवृत नहीं हूँ अथवा
- (3) मैं 40 प्रतिशत या इससे अधिक की विकलांगता वाला निःशक्त हूँ तथा भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/न्यास, इत्यादि में नियोजित/सेवानिवृत नहीं हूँ अथवा
- (4) मैं आदिम जनजाति (PVTG- Particularly Vulnerable Tribal Group) का सदस्य हूँ तथा भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/न्यास, इत्यादि में नियोजित नहीं हूँ अथवा
- (5) सिविल सर्जन से अन्यून पदाधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र के अनुसार मैं कैंसर/एड्स/कुछ/अन्य असाध्य रोगों से ग्रसित व्यक्ति हूँ तथा भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/न्यास, इत्यादि में नियोजित/सेवानिवृत नहीं हूँ अथवा
- (6) मैं अकेला रहने वाला बृद्ध/बुजुर्ग व्यक्ति/एकल परिवार हूँ जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/न्यास, इत्यादि में नियोजित नहीं हूँ अथवा
- (7) मैं मिखारी/गृहविहीन व्यक्ति हूँ अथवा
- (8) मैं कूड़ा चुनने वाला (Rag Picker)/जाड़कश (Sweeper) हूँ अथवा
- (9) मैं निर्माण कार्य में संलग्न श्रमिक (Construction Worker)/सजमिस्त्री (Mason)/अकुशल श्रमिक (Unskilled Labour)/घरेलू श्रमिक (Domestic Worker)/कुली एवं सिर पर बोझ उठाने वाले अन्य श्रमिक (Coolie and other head load worker)/रिक्षाचालक (Rickshaw Puller)/ठेला चालक (Thela/ Hand Cart Puller) हूँ अथवा
- (10) मैं फुटपाथी दुकानदार (Street Vendor)/फेरीवाला (Hawker)/छोटे स्थापना के अनुसेवक (Peon in Small Establishment)/सुरक्षा प्रहरी (Security Guard)/पेन्टर (Painter)/वेल्डर (Welder)/बिजली मिस्त्री (Electrician)/मैकेनिक (Mechanic)/दर्जी (Tailor)/चलसाज (Plumber)/माली (Mali)/धोबी (Washerwoman) हूँ अथवा

उपर्युक्त क्रम में निम्नवर्णित अपवर्जन मानक (Exclusion Criteria) के आधार पर पूर्ण सत्यनिष्ठान के साथ घोषण करता / करती हूँ कि -

- (11) मैं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य, भारत सरकार/ राज्य सरकार/ केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद/ उद्यम/ प्रक्रम/ उपक्रम/ अन्य स्वायत निकास जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/ नगर निगम/ नगर पर्वद/ नगरपालिका/ न्यास इत्यादि में नियाजित नहीं हैं।
- (12) मैं या मेरे परिवार का कोई सदस्य, आयकर/ सेवा कर/ व्यावसायिक कर/ GST नहीं देता है,
- (13) मेरे या मेरे परिवार के पास पाँच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि अथवा दस एकड़ से अधिक भूमि नहीं है,
- (14) मेरे या मेरे परिवार के किसी सदस्य के नाम से चार पहिया मोटर वाहन (Four Wheeler Vehicle) अथवा इससे अधिक पहिया के वाहन नहीं हैं,
- (15) मैं या मेरे परिवार का कोई सदस्य सरकार द्वारा पंजीकृत उद्यम का स्वामी या संचालक नहीं हैं,
- (16) मेरे या मेरे परिवार के पास पवकी दीवारों तथा छत के साथ तीन या इससे अधिक कमरों का पवका मकान नहीं है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना से अनाव्यादित है,
- (17) मेरे या मेरे परिवार के पास 5 लाख या इससे अधिक लागत का मशीन चालित चार पहिए वाले कृषि उपकरण (ट्रैक्टर, थ्रेसर इत्यादि) नहीं है।

मैं घोषणा करता/ करती हूँ कि मेरी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है तथा मेरे द्वारा दिये गये उपरोक्त सभी तथ्य तथा संलग्न परिवार की सूची मेरे ज्ञान पर आधारित है व सत्य है तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।

यदि मेरे द्वारा दिये गये उपरोक्त तथ्य गलत/ मिथ्या पाये जाते हैं तो इसके लिये कानूनी तौर पर मैं खुद जिम्मेदार रहूँगा/ रहूँगी।

साथ ही, मैं सरकार से अनुचित रूप से ली गई सहायता (खाद्यान्न इत्यादि) का बाजार मूल्य व इस पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये जुर्माने/ व्याज सहित राशि वापस लौटाने का उत्तरदायी

भविष्य में यदि मैं या मेरा परिवार, निर्धारित मापदण्डों की सीमा से बाहर हो जाते हैं तो मैं इसकी सूचना ग्राम पंचायत/ शहरी निकाय को दूँगा/ दूँगी व इस योजना के अन्तर्गत आगे लाभ नहीं लूँगा/ लूँगी।

स्थान : .....

हस्ताक्षर : .....

दिनांक : .....

नाम : .....